पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)



प्रधान कार्यालयः 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008

<u>सूचना</u>

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक, वीडियो कॉफ्रेसिंग (वीसी)/ अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों (ओएवीएस) के माध्यम से **गुरुवार, 25 मार्च, 2021** को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नितिखित व्यवसायिक मदों पर विचार-विमर्श किया जाएगाः

मद संख्या 1 : भारत सरकार को अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयर जारी करना

विशेष संकल्प (ओं) के रूप में निम्नलिखित संकल्प (ओं) पर विचार करना तथा उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना पारित करनाः

"**संकल्प किया जाता है कि** राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (जिसे इसके बाद "**योजना"** कहा जाएगा) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2008 (जिसे इसके बाद "विनियमन" कहा जाएगा) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (जिसे इसके बाद "**अधिनियम"** कहा जाएगा) के प्रावधानों के अन्सरण में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (**आरबीआई**), भारत सरकार (जीओआई) ,भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अन्मोदन, सहमति और स्वीकृति, यदि हो, के अधीन तथा ऐसे निबंधन, शर्तों व तत्संबंधी संशोधनों जो इस प्रकार के अनुमोदन प्रदान करने में उनके द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं एवं जिनके लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति दी जा सकती है, के अधीन तथा सेबी (प्रंजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2018 [सेबी (आईसीडीआर) विनियम], सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियमन एवं भारतीय रिज़र्व बैंक व अन्य सभी संबद्ध प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अधीन तथा शेयर बाज़ारों जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीयन समझौतें, बैंक के शेयरधारकों की सहमति के अधीन एतद द्वारा बैंक के निदेशक मंडल को (जिसे इसके बाद 'निदेशक मंडल' कहा जाएगा) जिसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसमें ऐसी कोई समिति शामिल होगी जिसे बोर्ड ने गठित किया है/कर सकता है, अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए सहमति दी गई है जिसमें समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के विनियमन 164 (1) के अनुसरण में ₹ 5500/-(रुपये पाँच हजार पाँच सौ करोड़ मात्र) राशि के समत्ल्य, निर्धारित ₹ 16.41 प्रति इक्विटी शेयर (₹ 6.41 प्रति इक्विटी शेयर के प्रिमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर अधिमानी आधार पर ₹ 10/-के अंकित मूल्य के, अधिमानी आधार पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को 33351614868 तक के इक्विटी शेयर का मृजन, प्रस्ताव, निर्गम तथा आबंटन के लिए इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ शामिल है।

"आगे संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त सामान्य शेयरों के न्यूनतम निर्गम मूल्य के निर्धारण के लिए अधिमानी निर्गम हेतु प्रासंगिक तिथि 23.02.2021 होगी, ईजीएम की तिथि से 30 दिन पूर्व की तिथि"

आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड के पास प्राधिकार तथा अधिकार होगा कि संकल्प में निर्गम, आबंटन तथा उसके सूचीयन

और जैसा बोर्ड द्वारा सहमति दी गई हो, को उनके अन्मोदन, सहमति, अन्मित तथा स्वीकृति के अन्सार/प्रदान करते समय

आवश्यकतानुसार या भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड/ शेयर बाज़ार जहाँ बैंक के शेयर

सूचीबद्ध हैं, या इस प्रकार के अन्य सम्चित प्राधिकारियों द्वारा अधिरोपित संशोधन को स्वीकार करें।

"आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अन्सरण में अधिमान आधार पर जारी किए जाने वाले और आबंटित किए जाने

वाले उक्त इक्विटी शेयरों को अमूर्त रूप में जारी किए जाएंगे और सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक

लॉक-इन के अधीन होंगे तथा इस प्रकार की घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों या कोई अन्य कानून के अनुसार

सभी मामलों में बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के साथ सभी प्रकार से समान स्तर के होंगे तथा घोषित लाभांश, यदि हो, के

पात्र होंगे।

"**आगे संकल्प किया जाता है कि** इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद द्वारा बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है कि

ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलें और विषय को संपादित करे जो उसके विवेकाधिकार से आवश्यक, उचित और अपेक्षित हो तथा

जिनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्वटी शेयरों के निर्गम से संबंधित हो और आगे ऐसे

सभी कृत्यों, कार्यों, मामले तथा विषय को संपादित करे, आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो सकने वाले सभी दस्तावेज़ों और

विलेखों को अंतिम रूप दें तथा निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित या वांछनीय हो सकता है और

ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की जरूरत नहीं होगी या यह समझा जाएगा कि अंतिम रूप देने

के प्रयोजन तथा आशय से शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार दवारा स्पष्ट रूप से अपनी सहमति दी है।

"आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड यहाँ उसे प्रदत्त सभी या किसी अधिकार को प्रबंध निदेशक एवं म्ख्य कार्यकारी अधिकारी

या कार्यकारी निदेशक या बैंक के ऐसे अन्य अधिकारी (यों) जिन्हें वह उचित समझें, उपर्य्क्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए

प्रत्यायोजित कर सकता है।"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांकः 02 मार्च, 2021

(एस कृष्णन)

प्रबंध निदेशक एवं म्ख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पणियां :

1. विडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण, गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है तथा सामाजिक दूरी मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है। एमसीए (कारपोरट कार्य मंत्रालय) परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08.04.2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13.04.2020, परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांकित 15.06.2020, परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांकित 28.09.2020 तथा परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांकित 31.12.2020 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीअाईआऱ/पी/2020/79 दिनांकित 12.05.2020 तथा सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/ सीआईआर/पी/2021/11 दिनांकित 15.01.2021 के अनुसरण में जून 30, 2021 तक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम के आयोजन की अनुमति है।

उक्त प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक के असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन विडियो कॉन्फ्रेसिंग (वीसी) के माध्यम किया जा रहा है। ईजीएम के लिए मानित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा। पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठकें) विनिमय, 2008 के विनियम 58 के अंतर्गत वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना, गणपूर्ति में शामिल करने के उद्देशय से की जाएगी। जैसा कि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम का आयोजन किया जाएगा, सचिवालय मानक 2 के अंतर्गत इस नोटिस के साथ आवश्यक मानचित्र संलग्न नहीं है।

कोविड-19 महामारी तथा लॉकडाउन प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, ईजीएम नोटिस की प्रतियां भौतिक रूप में नहीं भेजी जाएगी तथा इसे ई-मेल के माध्यम से केवल उन शेयरधारकों को भेजी जाएगी जिन्होनें अपने ई-मेल आई बैंक या डिपॉजिटरी सहभागी के पास पंजीकृत किया है। ईजीएम की सूचना बैंक वेबसाइट तथा शेयर बाज़ारों की बेवसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। शेयरधारक ई-मेल आईडी में अद्यतन के लिए, मूर्त शेयर होने की स्थिति में रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट से और डीमेट फॉर्म में शेयर होने की स्थिति में डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क करें।

2. <u>मताधिकार</u>

बैंक ने उक्त कार्यसूची मद के लिए शेयरधारकों के मताधिकार निर्धारण के लिए अंतिम तारीख मार्च 18, 2021 निर्धारित की है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 के खंड 3 के उपखंड (2ई) की शर्तों के अनुसार केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त तदनुरुपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारित शेयर के संबंध में, बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा। आगे, पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2008 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।

3. <u>प्रॉक्सी की नियुक्तिः</u> बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयर-धारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने हेतु पात्र होगें/होगीं तथा इस प्रकार के प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम के आयोजन के लिए पूर्वोक्त छूटों के अनुसार, शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति को अनावश्यक बनाया गया है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए सुविधा इस ईजीएम के लिए उपलब्ध नहीं है तथा प्रॉक्सी फॉर्म व उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) की नियुक्तिः

कोई भी व्यक्ति किसी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा/या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कंपनी/इकाई के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने के संकल्प की प्रमाणित सत्यप्रति बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 20 मार्च, 2021 को अपराहन 05:00 बजे या इससे पूर्व प्रधान कार्यालय, 21- राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली -110008 के शेयर कक्ष में जमा नहीं की जाती या संवीक्षक को deepak@drassociates.org पर मेल द्वारा नहीं भेजा जाता जिसकी प्रतिलिपि complianceofficer@psb.co.in को भेजा जाना है।

बैंक का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में निय्क्त नहीं होगा।

5. डाउनलोडिंग के लिए बैठक की सूचना बैंक के वेबसाइट अर्थात् <u>www.psbindia.com</u> (निवेशक सूचना पृष्ठ), बीएसई लिमिटेड के वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> पर तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के वेबसाइट <u>www.nseindia.com</u> पर उपलब्ध है।

6. <u>व्याख्यात्मक विवरणः</u>

बैठक की मदों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को समायोजित करता हुआ व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है और यह नोटिस का भाग है।

7. शेयर अंतरण एजेंट से संचारः

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी संचार प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण इत्यादि में हुए परिवर्तनों/अद्यतन (यदि हो) की सूचना बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें: लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि.

यूनिट : पंजाब एण्ड सिंध बैंक

नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट संख्या एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक

नियर सावित्री मार्किट, जनकप्री, नई दिल्ली-110058

फोन: +91 11 4141 0592, 93, 94 फैक्स: +91 11 4141 0591

ई-मेल: delhi@linkintime.co.in

अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी संचार प्राप्त करने के लिए ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण इत्यादि में हुए परिवर्तनों/अद्यतन (यदि है) की सूचना अपने डिपॉजिटरी सहभागियों को दें।

8. इलेक्टॉनिक साधनों से मतदान

- i. एमसीए परिपत्रों के साथ पठित सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2015 के विनियम 44, शेयर बाजारों के साथ सूचीयन करार तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अंतर्गत प्रावधानों, यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2015 के अनुसरण में बैंक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (दूरस्थ ई-वोटिंग व ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा ईजीएम में मदों के संबंध में अपने शेयरधारकों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है।
- ii. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण करके बैठक प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व तथा निर्धारित समय पश्चात वीसी/ओएवीएम माध्यम में ईजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने की सुविधा न्यूनतम 1000 सदस्यों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वृहत शेयरधारक (2 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति, लेखापरीक्षक इत्यादि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आओ-पहले पाओ के प्रतिबंध के बिना ईजीएम में भाग लेने की अनुमित है।

iii. दूरस्थ ई-मतदान हेतु निर्देश इस प्रकार हैं :-

- A. सोमवार, 22 मार्च, 2021 (प्रात: 10.00 बजे) से दूरस्थ ई-मतदान प्रारंभ होगी तथा बुधवार, 24 मार्च, 2021 (अपराहन 05.00 बजे) समाप्त हो जाएगी। उसके बाद वोटिंग के लिए सीएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल बंद कर दी जाएगी। इस अविध के दौरान बैंक के शेयरधारक जिनके पास अंतिम तिथि गुरुवार, मार्च 18, 2021 को शेयर मूर्त अथवा अमूर्त रूप में हैं, अपना मतदान ईलैक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं।
- (i) शेयरधारक जिन्होनें बैठक तिथि से पूर्व ही मतदान कर दिया है, बैठक स्थान पर मतदान के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (ii) शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट <u>www.evotingindia.com</u> पर लॉग-ऑन करना होगा।
- (iii) "शेयरधारक" मॉडयूल पर क्लिक करें।
- (iv) अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें।

- क. सीडीएसएल हेत् 16 अंकों की हिताधिकारी आईडी।
- ख. एनएसडीएल हेत् 8 अंकों की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी।
- ग. भौतिक रूप में शेयरधारक बैंक में पंजीकृत अपनी फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।

या

वैकल्पिक रूप से, यदि आप सीडीएसएल के **ईएएसआई/ईएएसआईईएसटी** ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत हैं तो अपने लॉग-इन क्रेडेंसियल उपयोग करके <u>Login-Myeasi</u> से <u>https://www.cdslindia.com</u> पर लॉग-इन कर सकते हैं।

- (v) आगे दर्शाई गई ईमेज सत्यापन को प्रविष्ट करें और लॉग-इन पर क्लिक करें।
- (vi) यदि आपके पास शेयर डीमेट रूप में हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगऑन कर दिया है और पूर्व में किसी कंपनी हेत् मतदान कर दिया है तो आपके वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग किया जाना है।
- (vii) यदि आप प्रथम बार प्रयोगकर्ता हैं तो निम्न दिए गए चरणों का अनुसरण करेः

	भौतिक रूप तथा अभौतिक रूप (डीमेट) में शेयरधारकों हेतु		
	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक *पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों		
	और भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है)		
पैन	 शेयरधारक जिन्होंने अपना पैन कंपनी/ डिपाजिटरी सहभागी के पास अपडेट नहीं कराया है , से 		
	अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम संख्या का प्रयोग करें या कंपनी/आरटीए		
	से संपर्क करें।		
लाभांश	लॉगिन करने हेतु अपने डिमेट खाते में या बैंक अभिलेख में दर्ज लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि		
बैंक विवरण या	(दिन/माह/वर्ष प्रारूप में) प्रविष्ट करें।		
जन्म-तिथि	 यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के पास पंजीकृत नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण 		
(डीओबी)	फील्ड में सदस्य आईडी/फोलियों संख्या जैसा कि (v) में उल्लिखित है, प्रविष्ट करें।		

- (viii) इन विवरणों को उपयुक्त रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात "सबमिट" टेब पर क्लिक करें।
- (ix) सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, सीधे सेलेक्शन स्क्रीन पर पहुँच सकते हैं। तथापि, शेयरधारक जिनके पास डीमेट रूप में शेयर हैं "पासवर्ड क्रिएशन विकल्प" में पहुँचेंगे, जहाँ उन्हें नए पासवर्ड स्थान में अनिवार्य रूप से अपना लॉग-इन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कृपया नोट करें कि डीमेट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी भी कंपनी जिसमें वह वोट देने के लिए पात्र है बशर्ते कंपनी सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-मतदान करवाती हो, उपयोग किया जा सकता है। बलपूर्वक यह अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें।
- (x) सदस्य जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, इस सूचना में निहित संकल्प पर केवल ई-मतदान के लिए विवरण का उपयोग किया जा सकता है।
- (xi) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के "ईवीएसएन" पर क्लिक करें जिसको आप मतदान करना चाहते हैं।
- (xii) वोटिंग पृष्ठ पर आप "रिजोल्यूशन विवरण" के समक्ष हाँ/ नहीं का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। इच्छानुसार "हाँ" अथवा "नहीं" विकल्प का चुनाव करें। "हाँ" का विकल्प, संकल्प के प्रति आपकी सहमति सूचित करता है तथा "नहीं" का विकल्प, संकल्प के प्रति आपकी असहमति सूचित करता है।

- (xiii) यदि आप सभी संकल्प विवरणों को देखना चाहते हैं तो "रिजोल्यूशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें।
- (xiv) वोट करने के संकल्प के चयन पश्चात "सबमिट" पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स दिखेगा। यदि आप अपने मतदान की पुष्टि करना चाहते हैं तो "ओके" पर क्लिक करें और यदि अपना वोट बदलना चाहते हैं तो "कैंसल" पर क्लिक करें व तदन्सार अपना मतदान संशोधित करें।
- (xv) संकल्प पर एक बार मतदान की "पृष्टि" के पश्चात आपको अपने मतदान को संशोधन की अन्मति नहीं होगी।
- (xvi) मतदान पृष्ठ पर "प्रिंट लेने हेतु यहाँ क्लिक करें" विकल्प पर क्लिक करके आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी निकाल सकते हैं।
- (xvii) यदि डीमेट खाताधारक अपना लॉग-इन पासवर्ड भूल गए हैं तो यूजर आईडी और ईमेज सत्यापन कोड को प्रविष्ट करें तथा फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें व प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।
- (xviii) सीडीएसएलएस के मोबाइल ऐप "एम-वोटिंग" का उपयोग करके भी शेयरधारक अपना वोट डाल सकते हैं। एम-वोटिंग ऐप को संबंधित स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कृपया अपने मोबइल पर दूरस्थ मतदान करते समय मोबइल ऐप द्वारा बताए गए निर्देशों का अनुसरण करें।

जिन शेयरधारकों के ई-मेल पते डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं है, उनके लिए इस सूचना में प्रस्तावित संकल्पों हेतु ई-वोटिंग के लिए लॉग-इन क्रेडेंसियल प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया :

- 1. भौतिक शेयरधारकों के लिए complianceofficer@psb.co.in / delhi@linkintime.co.in. को ईमेल द्वारा आवश्यक विवरण यथा फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण-पत्र की स्केन प्रति (अग्र और पश्च), पैन (पैन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति) उपलब्ध कराएं।
- 2. डीमेट शेयरधारकों के लिए complianceofficer@psb.co.in / delhi@linkintime.co.in. को डीमेट खाता विवरण (सीडीएसएल -16 अंकों का लाभार्थी आईडी या एनएसडीएल 16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति) उपलब्ध कराएं।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग ले रहे शेयरधारकों के लिए निर्देश इस प्रकार है:

- 1. सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से वीसी/ ओएवीएम से शेयरधारकों को ईजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। शेयरधारक, दूरस्थ ई-मतदान क्रेडेंसियल का उपयोग करके शेयरधारक/ सदस्य लॉग-इन के अंतर्गत https://www.evotingindia.com पर इसका एक्सेस कर सकते हैं। शेयरधारक/ सदस्य लॉगइन में वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जहाँ बैंक का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा।
- 2. बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों को लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- 3. बैठक के दौरान किसी भी विक्षोभ से बचने के लिए शेयरधारकों को कैमरे की अनुमति देने तथा अच्छी गति के इंटरनेट के उपयोग की आवश्यकता होगी।

- 4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टेबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके लैपटॉप के माध्यम से जुड़ने वाले सहभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में विचलन के कारण ऑडियो/विडियों घटने का अनुभव हो सकता है। किसी प्रकार के पूर्वोक्त ग्लिच को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन के उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।
- 5. शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, **बैठक से कम से कम 48** घंटे पूर्व अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपना अनुरोध स्पीकर के रूप में complianceofficer@psb.co.in पर पंजीकृत करें। वे शेयरधारक जो ईजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन उनके पास प्रश्न है **बैठक से कम से कम 48 घंटे पूर्व** अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपने प्रश्न अग्रिम में complianceofficer@psb.co.in पर भेजें। इन प्रश्नों के उत्तर बैंक द्वारा ई-मेल से उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।
- 6. जिन शेयरधारकों ने अपने को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, बैठक के दौरान केवल उन्हें ही अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों हेत् निर्देश इस प्रकार है:

- 1. ईजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया, दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान है।
- 2. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हैं और दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और जिन्हें अन्यथा ऐसा करने से नहीं रोका गया है, ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान के पात्र होंगे।
- 3. यदि ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा मतदान किया जाता है और यदि उन शेयरधारकों ने वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों को अमान्य माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।
- 4. दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक ईजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे ईजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।

गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों तथा अभिरक्षकों के लिए नोटः

- गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात व्यैक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अतिरिक्त) तथा अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना होगा और "कॉरपोरेट" मॉडयूल में स्वयं को पंजीकृत करना होगा।
- पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रतिया जिस पर इकाई की मुहर तथा हस्ताक्षर लगी हो, को helpdesk.evoting@cdslindia.com. पर मेल की जानी चाहिए।
- लॉग-इन विवरण प्राप्त होने के बाद, एडिमन लॉगइन तथा पासवर्ड का उपयोग करके अनुपालन यूजर क्रिएट कर लेना चाहिए। अन्पालन यूजर खाता (ओं) को लिंक करने समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते हैं।

- लॉगइन में लिंक किए गए खातों की सूची <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> पर मेल की जानी चाहिए तथा खातों
 के अन्मोदन पर वे अपना मतदान करने में सक्षम होंगे।
- बोर्ड संकल्प तथा मुख्तारनामा की स्केन प्रतिया जिसे उन्होंने अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया है (यदि हो), तो संवीक्षक के पास उसके सत्यापन के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करना चाहिए।
- वैकल्पिक रूप से गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो मतदान के लिए अधिकृत है, के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर सहित प्रासंगिक बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र इत्यादि संवीक्षक तथा बैंक को ईमेल पते अर्थात complianceofficer@psb.co.in पर भेजना आवश्यक है यदि वे वैयक्तिक टैब से मतदान कर चुके हैं और उसे जांच के लिए संवीक्षक को सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली में अपलोड नहीं किया है।

यदि आपको ई-मतदान प्रणाली द्वारा ईजीएम में भाग लेने व ई-वोटिंग के संबंध में किसी प्रकार की जिजासा या प्रश्न है तो सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूएस) व ई-मतदान मैनुअल का अवलोकन करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें या श्री नितिन कुंदर (022- 23058738) या श्री महबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दल्वी (022-23058542) से संपर्क करें।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान की सुविधा से जुड़े सभी शिकायतों के लिए श्री राकेश दल्वी, प्रबंधक, (सीडीएसएल) केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25 वाँ तल, मैराथन फ्यूचर, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 पर संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें या 022-23058542/43 पर कॉल करें।

9. संवीक्षक

निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-मतदान प्रक्रिया की संवीक्षा के लिए बैंक द्वारा श्री दीपक गुप्ता, कार्यरत कंपनी सचिव (सीपी संख्या 4629) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

ईजीएम संपन्न होने के 48 घंटे भीतर संवीक्षक, बैठक के अध्यक्ष को कुल डाले गए मतदान पर समेकन संवीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे और शेयर बाजारों व बैंक की वेबसाइट पर संवीक्षक की रिपोर्ट सहित परिणाम डालकर मतदान के परिणाम की घोषणा करेंगे।

10. शेयर कक्ष

शेयरधारकों को त्वरित व कुशल सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में शेयर कक्ष की स्थापना की है, किसी भी सहायता के लिए शेयरधारक नीचे उल्लिखित पते पर इस कक्ष से संपर्क कर सकते हैं:

कंपनी सचिव, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय शेयर कक्ष, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008, दूरभाष : 011-25782926, 25812922, ई-मेल : complianceofficer@psb.co.in

11. <u>अन्य जानकारी :</u>

a. ईजीएम आयोजन की सूचना बैंक के वेबसाइट <u>www.psbindia.com</u> पर अपलोड किया गया है। शेयर बाजारों यथा

बीएसई लिमिटेड तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com

तथा <u>www.nseindia.com</u> से भी इसकी सूचना प्राप्त की जा सकती है। सीडीएसएल (ईजीएम के दौरान दूरस्थ

ई-मतदान स्विधा तथा ई-मतदान प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात

www.evotingindia.com पर भी ईजीएम नोटिस को प्रसारित किया गया है।

b. बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए 'हरित पहल' के मद्देनजर शेयरधारकों से अनुरोध है कि डीमेट रूप में धारित शेयरों के

लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के पास तथा भौतिक रूप में धारित शेयर होने पर बैंक के आरटीए

(आरटीए का ईमेल आईडीः delhi@linkintime.co.in) के पास अपना ईमेल आई-डी पंजीकृत करें। आगे नाम, डाक-

पता, ईमेल पता, दूरभाष/मोबाइल नंबर, स्थाई खाता संख्या (पैन), अन्देश, नामांकन, बैंक विवरण जैसे - बैंक का

नाम तथा शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड इत्यादि से संबंधित किसी

प्रकार के परिवर्तन होने की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारक उसकी सूचना अपने डीपीएस को दें तथा

भौतिक रूप में शेयरधारक आरटीए को सूचित करें।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांकः 02 मार्च, 2021

(एस कृष्णन)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

व्याख्यात्मक विवरणी तथा प्रकटीकरण

कार्यसूची मद संख्या 1: भारत सरकार को अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयर जारी करना।

सेबी (आईसीडीआर) विनियमन की शर्तों के अन्सार अपेक्षित आवश्यक प्रकटीकरण इस प्रकार है :

- a) सार्वजिनक क्षेत्रों की बैंकों (पीएसबीएस) की पूंजी पर्याप्तता को सुढ़ढ करने के लिए भारत सरकार ने बैंक को ₹55,00,00,00,000 की पूंजी देने का निर्णय लिया है। अधिमान्य आबंटन आधार पर भारत सरकार के पक्ष में सामान्य शेयरों के सृजन, निर्गम तथा आबंटन द्वारा पूंजी वृद्धि किया जाएगा।
- b) सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अनुरूप भारत सरकार के पक्ष में ईक्विटी शेयरों के अधिमान्य निर्गम माध्यम से राशि ₹ 55,00,00,00,000 मात्र तक, सेबी आईसीआरडी विनियमन, 2018 के विनियम 164 (1) के अनुसार निर्धारित ₹ 6.41 प्रति शेयर के प्रिमियम पर नगदी के लिए पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के सामान्य शेयरों के निर्गम के लिए 3351614868 इक्विटी शेयरों के निर्गम हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है।
- c) संपूर्ण अधिमान्य निर्गम भारत सरकार-बैंक का प्रवर्तक द्वारा अभिदत्त किया जाएगा।
 यथा संशोधित सेबी (आईसीडीआर विनियमन) के अनुसार उपरोक्त इक्विटी शेयर के निर्गम के मूल्य के निर्धारण हेतु
 अधिमान्य निर्गम के लिए प्रासंगिक तिथि 23.02.2021–होगी जोकि असाधारण सामान्य बैठक से 30 दिन पूर्व होगी।
- d) भारत सरकार को अधिमानी निर्गम पश्चात तथा पूर्व बैंक की शेयरधारिता प्रतिरूप इस प्रकार है:

		निर्गम से पूर्व		निर्गम पश्चात	
क्र.सं.	श्रेणी	धारित शेयरों की	शेयरधारिता	धारित शेयरों	शेयरधारिता
		संख्या	का प्रतिशत	की संख्या	का प्रतिशत
Α	प्रवर्तक की धारिता (भारत सरकार)	582317742	83.06	3933932610	97.07
В	गैर-प्रवर्तक धारिता	118735354	16.94	118735354	2.93
	कुल	701053096	100.00	4052667964	100.00

- भारत सरकार की निर्गम पश्चात शेयरधारिता 97.07% रहेगी और फलस्वरूप नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

 e) सेबी (आईसीडीआर) विनियमन 2018 में उल्लिखित निर्धारित समय-सीमा के भीतर बैंक, निर्गम प्रक्रिया को पूर्ण करने का प्रयास करेगा।
- f) भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को 3351614868 इक्विटी शेयरों के अधिमान्य आबंटन के परिणामस्वरूप, भारत सरकार के इक्विटी शेयरों की शेयरधारिता बढ़कर 3933932610 (97.07%) हो जाएगी और नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- g) प्रस्तावित आबंटिती अर्थात भारत सरकार को निर्गम पूर्व तथा निर्गम पश्चात शेयरधारिता निम्नान्सार होगी :

	शेयरों की संख्या	पूंजी का प्रतिशत
निर्गम-पूर्व	582317742	83.06

निर्गम-पश्चात	3933932610	97.07
---------------	------------	-------

- h) बैंक के इक्विटी शेयर को छब्बीस सप्ताह से अधिक समय के लिए सूचीबद्ध किया गया है और तदनुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के विनियम 164 (3) व 167 (5) के प्रावधान तथा सेबी (आईसीडीआर) विनियमन 2018 के विनियम 163 (1) (जी) व (एच) के अंतर्गत प्रकटीकरण लागू नहीं है।
- i) भारत सरकार को इक्विटी शेयरधारिता, सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2018 के खंड 167 (1) के अनुसार लॉक-इन के अधीन होगी। भारत सरकार को अधिमान्य आधार पर आबंटन के लिए प्रस्तावित इक्विटी शेयर, उसके व्यापारिक अनुमोदन स्वीकृति तिथि से तीन वर्षों के लिए लॉक-इन अविध में रहेगा, तथापि बैंक की कुल पूंजी का 20 प्रतिशत से अधिक, व्यापारिक अनुमोदन की तिथि से तीन वर्षों के लिए लॉक नहीं रहेगा। भारत सरकार की समस्त अधिमान्य-पूर्व आबंटित शेयरधारिता 'प्रासंगिक तिथि' व्यापारिक अनुमोदन तिथि से छह माह की अविध तक अवरूद्ध रहेगा।
- j) सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र जोकि यह प्रमाणित करता है कि इन विनियमनों की अपेक्षाओं के अनुसार निर्गम जारी किए जा रहे हैं, बैठक में रखा जाएगा तथा दिनांक 25 मार्च, 2021 को असाधारण सामान्य बैठक में निरीक्षण के लिए उक्त प्रमाण-पत्र की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।
- k) भारत सरकार द्वारा धारित सभी इक्विटी शेयर अमूर्त रूप में है तथा बैंक, सेबी (एलओडीआर) विनियमन में विनिर्दिष्ट इक्विटी शेयरों के सतत सूचीयन की शर्तों का अन्पालन कर रहा है।
- भारत सरकार के पक्ष में इक्विटी शेयरों को जारी करना सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2018 के अधीन होगा जो उसमें
 िकसी भी संशोधन (औं) सिहत प्रासंगित समय पर लागू हो सकता है।
- m) भारत सरकार ने प्रासंगिक तिथि से पूर्व के छह माह के दौरान बैंक का कोई इक्विटी शेयर विक्रय नहीं किया है।
- n) सेबी (एलओडीआर) विनियमन तथा सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के विनियम 160 के संदर्भ में अधिमान्य आधार पर शेयरों का निर्गम करने तथा आबंटन करने के लिए विशेष संकल्प द्वारा बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है।
- o) कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति, इक्विटी शेयर अभिदत्त नहीं करेगा।
- p) इस प्रकार की घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार उपरोक्त के रूप में जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की श्रेणी (घोषित लाभांश सहित, यदि हो), बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों से सभी प्रकार से समान होंगे।
- q) बैंक का कोई भी निदेशक इस संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं है।
- r) आपके निदेशक नोटिस में वर्णित संकल्पों को पारित करने की अन्शंसा करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांकः 02 मार्च, 2021

(एस कृष्णन)

प्रबंध निदेशक एवं म्ख्य कार्यकारी अधिकारी

utura.st (A Government of India Undertaking)
Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi – 110 008

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on **Thursday**, the 25th day of March, 2021 at 11.00 a.m. to transact the following Special business:

Agenda Item No. 1: Issue of Equity Shares on Preferential Basis to Government of India

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolutions(s) as Special Resolution(s):

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 (hereinafter referred to as the "Regulations") and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 [SEBI (ICDR) Regulations], SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations 2015 (SEBI (LODR) Regulations), as amended from time to time and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "Board") which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or/may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, offer, issue and allot up to 3351614868 Equity Shares to the President of India (Government of India) on preferential basis, of the face value of Rs. 10/- each on preferential basis at a issue price of Rs.16.41 per Equity Share (including premium of Rs.6.41 per equity share) determined in accordance with Regulation 164 (1) of SEBI (ICDR) Regulations as amended from time to time amounting to Rs.5500 Crore (Rupees Five Thousand Five Hundred Crore only)."

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for the preferential issue, for determination of minimum price of the issue of the above mentioned equity shares shall be 23.02.2021, being the date 30 days prior to the date of EGM."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities & Exchange Board of India / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under "SEBI (ICDR) Regulations" and shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank in all respects and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines or any other law that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary,

desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and Chief Executive Officer or Executive Director or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi
Date: 02 March, 2021

(S Krishnan)
MD & CEO

NOTES:

1. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING

In view of the outbreak of COVID-19 pandemic, there is restriction on the movement and the need to observe social distancing norms. Securities & Exchange Board of India (SEBI) circular no SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 read with MCA (Ministry of Corporate Affairs) Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No 33/2020 dated September 28, 2020 and Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, permit holding of EGM through VC/OAVM up to June 30, 2021.

In compliance with the above provisions, Extraordinary General Meeting of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC). The deemed venue for the EGM shall be the Head Office of the Bank. Shareholders attending the EGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab & Sind Bank (Shares & Meeting) Regulations, 2008. As the EGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this notice as required under Secretarial Standard 2.

Considering COVID-19 pandemic and lockdown restriction, copies of the Notice of EGM in physical form shall not be dispatched and the same shall sent through e-mail only to those Shareholders who have registered their Email Id's with the Bank or with the Depository Participant. The notice of EGM will also be hosted on the website of the Bank and the stock exchanges. The shareholders may contact the Registrar and Share Transfer Agent in case of physical shares or depository participant in case of shares in demat form, for updation of mail id.

2. VOTING RIGHTS

The Bank has fixed Thursday, March 18, 2021 as the cut-off date for determining the voting rights of shareholders for the said agenda item.

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Further, as per Regulation 10 of the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008, if any share stands registered in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

3. **APPOINTMENT OF PROXIES:** A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. However, in accordance with the aforesaid relaxations for convening of the EGM through VC/OAVM, physical attendance of shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxy by shareholders is not available for this EGM and the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this notice.

4. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE(S):

No person shall be entitled to attend the meeting through VC / OAVM and / or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative of a company/entity is deposited at Shares Cell at Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-110008 or has been sent by email to the scrutinizer at 'deepak@drassociates.org' with copy marked to 'complianceofficer@psb.co.in' not later than four days before the date of meeting i.e. on or before 5.00 p.m. on 20th March 2021.

No officer or employee of the Bank shall be appointed as the Authorised Representative of a shareholder.

5. The notice of the meeting is available for downloading from the website of the Bank viz. www.psbindia.com (Investor Info Page'), on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

6. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and form part of notice.

7. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENT:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes/update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to Share Transfer Agent of the Bank at the following address to receive all communication through electronic mode:

Link Intime India Pvt Ltd.

Unit: Punjab & Sind Bank

Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block,

Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058

Phone: +91 11 4141 0592, 93, 94 Fax: +91 11 4141 0591

Email: delhi@linkintime.co.in

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes/ update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to their depository participants, to receive all communication through electronic mode.

8. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

- I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing Agreement with Stock Exchanges and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the EGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the EGM) through the e-voting platform provided by Central Depository Services Limited (CDSL).
- II. The Members can join the EGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the EGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the EGM without restriction on account of first come first served basis.

III. The instructions for remote e-voting are as under:

- A. The remote e-voting period begins on Monday, 22nd March, 2021 (10:00 a.m.) and ends on Wednesday, 24th March, 2021 (5:00 p.m.). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cutoff date of Thursday, March 18, 2021, may cast their vote electronically.
- Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting venue.
- ii. The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- iii. Click on "Shareholders" module.

- iv. Now enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank. OR

Alternatively, if you are registered for CDSL's **EASI/EASIEST** e-services, you can log-in at https://www.cdslindia.com from **Login - Myeasi** using your login credentials. Once you successfully log-in to CDSL's **EASI/EASIEST** e-services, click on **e-Voting** option and proceed directly to cast your vote electronically.

- v. Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- vi. If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
- vii. If you are a first time user follow the steps given below:

	For Shareholders holding shares in Demat Form and Physical Form	
PAN Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applied demat shareholders as well as physical shareholders)		
	• Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/RTA.	
Dividend	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your	
Bank Details	demat account or in the Bank records in order to login.	
OR Date of Birth (DOB)	• If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).	

- viii. After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- ix. Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- x. For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- xi. Click on the EVSN of Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.
- xii. On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option "YES" or "NO" as desired. The option "YES" implies that you assent to the Resolution and option "NO" implies that you dissent to the Resolution.
- xiii. Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- xiv. After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- xv. Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- xvi. You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- xvii. If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- xviii. Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app "m-Voting". The m-Voting app can be downloaded from respective Store. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while Remote Voting on your mobile.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTIONS PROPOSED IN THIS NOTICE:

- 1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to complianceofficer@psb.co.in / delhi@linkintime.co.in.
- 2. For Demat shareholders please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to complianceofficer@psb.co.in / delhi@linkintime.co.in.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE EGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

- 1. Shareholder will be provided with a facility to attend the EGM through VC/OAVM through the CDSL e-Voting system. Shareholders may access the same at https://www.evotingindia.com under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVSN of the Bank will be displayed.
- 2. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
- 3. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- 4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- 5. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance atleast 48 hours prior to meeting mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at complianceofficer@psb.co.in. The shareholders who do not wish to speak during the EGM but have queries may send their queries in advance 48 hours prior to meeting mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at complianceofficer@psb.co.in. These queries will be replied to by the Bank suitably at the EGM or by email.
- 6. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR E-VOTING DURING THE EGM ARE AS UNDER:-

- 1. The procedure for e-Voting on the day of the EGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
- 2. Only those shareholders, who are present in the EGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the EGM.
- 3. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the EGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.
- 4. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the EGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM.

(ii) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.

- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; complianceofficer@psb.co.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

If you have any queries or issues regarding attending EGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

9. SCRUTINIZER

Mr. Deepak Gupta, Practicing Company Secretary (CP No. 4629) has been appointed as the scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting not later than 48 hours of conclusion of the EGM and the Chairman or a person authorised by him in writing shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges and the Bank.

10. SHARES CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up a Shares cell at its Head Office, New Delhi, Shareholders may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, Head Office, Shares Cell, Accounts & Audit Department,

21 Rajendra Place, New Delhi-110008, Telephone: 011-25782926, 25812922, E-mail: complianceofficer@psb.co.in

11. OTHER INFORMATION

- a. The Notice calling the EGM has been uploaded on the website of the Bank at www.psbindia.com. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The EGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the EGM) i.e. www.evotingindia.com.
- b. In view of the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders are requested to get their Email ids registered with their respective Depository Participant in case of shares held in demat form and with the Bank's RTA in case of shares held in physical form (email id of RTA: delhi@linkintime.co.in). Further, in case of changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the same may be intimated to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to the RTA in case the shares are held by them in physical form.

By order of the Board of Directors For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi
Date: 02 March, 2021

(S Krishnan)
MD & CEO

EXPLANATORY STATEMENT AND DISCLOSURES:

Agenda Item No. 1: Issue of Equity Shares on Preferential Basis to Government of India

Disclosures as required to be made in terms of SEBI (ICDR) Regulations are as follows:

- a) With the object to strengthen the capital adequacy of the Public Sector Banks (PSBs), the Government of India (GOI) has decided to infuse capital to the extent of Rs.55,00,00,00,000 to the Bank. The capital infusion will be by way of creation, issue and allotment of equity shares in favour of Government of India on preferential allotment basis.
- b) Shareholder approval is, therefore, sought for the issue of 3351614868 equity shares of Rs.10 each fully paid for cash at premium of Rs.6.41 per share determined in accordance with Regulation 164(1) of SEBI ICDR Regulations, 2018 upto the amount of Rs.55,00,00,00,000 only, through preferential issue of equity shares in the favour of GOI, as per SEBI (ICDR) Regulations.
- c) The entire preferential issue will be subscribed by the GOI the promoter of the Bank.
- The relevant date for the preferential issue, as per the SEBI (ICDR Regulations) as amended from time to time, for the determination of price for the issue of the above mentioned equity shares shall be 23.02.2021 being the date 30 days prior to the date of Extraordinary General Meeting.
- d) The share holding pattern of the Bank before and after Preferential issue of shares to the Government of India will be as under:

S No.	Category	Before the Issue		After the	Issue
		No. of Shares held	Percentage of shareholding	No. of Shares held	Percentage of shareholding
A	Promoter's Holding (GOI)	582317742	83.06	3933932610	97.07
В	Non- Promoter Holding	118735354	16.94	118735354	2.93
	Total	701053096	100.00	4052667964	100.00

The post issue holding of the Government of India will stand at 97.07% and consequently, there will be no change in control.

- e) The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations, 2018.
- f) Consequent to the preferential allotment of 3351614868 Equity Shares to the President of India (Government of India), the equity shares holding of the Government of India will stand increased to 3933932610 (97.07%) and there will be no change in control.
- g) The Pre and Post issue shareholding of the proposed allottee viz. Government of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre-issue	582317742	83.06
Post – issue	3933932610	97.07

- h) The Equity Shares of the Bank have been listed for more than twenty six weeks and accordingly, provisions of Regulation 164 (3) and 167 (5) of SEBI (ICDR) Regulations and the disclosures under Regulation 163(1) (g) & (h) of SEBI (ICDR) Regulations, 2018 are not applicable.
- i) The Equity Shares holding of the Government of India shall be subject to Lock-in in terms of Clause 167(1) of SEBI ICDR Regulations, 2018. Equity shares proposed to be allotted on preferential basis to the Government of India shall be locked-in for three years from the date of trading approval granted for the equity shares, however, not more than 20% of total capital of the Bank shall be locked in for 3 years from the date of trading approval. The entire pre-preferential allotment shareholding of the Government of India shall be locked-in from the 'Relevant Date' up to a period of six months from the date of trading approval.
- **j)** The Certificate issued by the Statutory Central Auditor certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the meeting and a copy of the said certificate will be made available for inspection at the Extraordinary General Meeting on 25th March, 2021.
- k) All the Equity Shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with

the conditions of continuous listing of Equity Shares as specified in the SEBI(LODR) Regulations.

- I) The issuance of Equity Shares in favour of the Government of India shall be subject to SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as may be applicable at the relevant time including any amendment(s) thereof.
- m) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.
- n) In terms of SEBI (LODR) Regulations and in terms of Regulations 160 of SEBI (ICDR) Regulations, approval of the shareholders of the Bank is required by way of Special Resolution to issue and allot shares on preferential basis.
- o) None of the Directors or Key Management persons will subscribe to the Equity Shares.
- **p)** The Equity Shares to be issued as above shall rank pari-passu in all respects (including dividend declared, if any) with the existing equity shares of the Bank in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.
- a) None of the Directors of the Bank is concerned or interested in the resolution.
- r) Your directors recommend passing of the resolutions as mentioned in the Notice.

By order of the Board of Directors For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi
Date: 02 March, 2021

MD & CEO